कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स्, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विद्युत/ 479–176/1833 रायपुर, दिनांक 16/10/2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़
छत्तीसगढ़

विषयः– **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for construction work of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS Kondatarai to M/s NTPC Ltd. area 9.589 ha. regarding.**
– **पंजीयन क्रमांक– FP/CG/TRANS/39462/2019**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक/2105 दिनांक 15.09.2020

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण लाईन कंपनी लिमि. द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही कोंडातराई सब स्टेशन से मेसर्स एन.टी.पी.सी लिमि. तक 132 के.व्ही विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु 9.589 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार आनलाईन एवं आफलाईन कमियां पायी गई है जो निम्नानुसार है –

आनलाईन कमियॉं :–

1. Form A Part-II के के कालम न. 2 (Legal status of forest land proposed for diversion) कमांक – 2 में 7.399 हे. राजस्व वन (Revenue Forest) लेख है। अपलोड भाग –2 में 7.399 हे. असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वन) लेख है। आनलाईन एवं भाग–2 में मिलान नहीं हो रहा है जसे सुधार करें।
2. Form A Part-II के कालम न. 13 (Details of compensatory afforestation scheme) में नारंगी वन क्षेत्र रकबा 3.417 हे, 8.076 हे. एवं रकबा 7.865 हे. लिया गया है जिसमें .kml file के attribute में विवरण (जैसे RF / PF along with Compartment no. and area in ha./ Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि) अपलोड नहीं है जिसे .kml file में अपलोड करें।
3. पैच न.3 रकबा 7.865 हे. के.एम.एल के जॉच में पाया गया कि उक्त क्षेत्र के बीच से कच्ची सड़क दिखाई दे रही है जिसे वनमंडलाधिकारी स्पष्ट करें।
4. Form A Part-II के कालम न. 13 .(iii एवं iv) वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित टोपोशीट एवं जियोरिफरेंस नक्शा में अपलोड नहीं है जिसे अपलोड करें।
5. वैकल्पिक वृक्षारोपण का वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस रिपोर्ट अपलोड नहीं है जिसे अपलोड करें।
6. Form A Part-II के कालम न. 15 (Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land) में अपलोड प्रपत्र – 3 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है जिसे अंकित कर पुनः अपलोड करें।
7. Form A Part-II के कालम न. 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV)) में अपलोड भाग–2 दिनांक एवं हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है जिसे भाग–2 में सुधार कर पुनः अपलोड करें।

आफलाईन कमियॉ :—

1. प्रस्ताव में वनमंडलाधिकारी का सत्यापित टाईम लाईन संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव में संलग्न मांग पत्र 1 में आरक्षित वन तथा शेष राजस्व वन उल्लेखित है जबकि आवेदित क्षेत्र से संबंधित मानचित्र में दो वन कक्ष परिलक्षित हो रहा है।
3. गैर वन क्षेत्र विवरण में वन क्षेत्र का विवरण संलग्न किया गया है।
4. वृक्ष विदोहन विवरण में वृक्ष गणना पुस्तक (मार्किंग बुक) संलग्न नहीं है तथा फार्म 1 बी त्रुटिपूर्ण है।
5. पारेषण लाईन के नीचे 3 मीटर x 3 मीटर चौड़ाई में कटने वाले वृक्षों की जानकारी संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि 7.399 हे. अभिलेखित है जबकि प्रपत्र—3 में यह क्षेत्र असीमांकित संरक्षित वन क्षेत्र (नारंगी वन) के रूप में अभिलेखित है जो एक दूसरे के समरूप नहीं है।
7. प्रपत्र—3, भाग—2 तथा पृष्ठ क्र. 155 में वृक्षों की संख्या भिन्न भिन्न है।
8. प्रपत्र—3, भाग—2 में संबंधित वन मंडलाधिकारी का नाम अंकित नहीं है।
9. प्रस्तावित क्षेत्र एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस रिपोर्ट मय सी.डी. नहीं है।
10. वर्तमान में वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए कार्य आयोजना में शामिल नारंगी क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा हैं, जबकि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी क्षेत्र प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त के माध्यम से प्रेषित करें। प्रस्ताव मूलतः वापस किया जाता है।

संलग्नः प्रस्ताव 4 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू—प्रबंध/ विद्युत/ 479—176/1634 रायपुर, दिनांक 16/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। प्रस्ताव प्रेषित करते समय आवरण पत्र चेक लिस्ट अनुसार विवरणात्मक रूप में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।
2. **कार्यपालन अभियंता**, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण लाईन कंपनी लिमि. बिलासपुर, छ.ग.।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़